

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार,,
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 09-12-2013

विषय :- माँग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-30-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए.आई.बी.पी.) अ०के०स०, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड-50P470200796300545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	50-लघु सिंचाई विभाग /4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना / 30-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए.आई.बी.पी.) (अ०के०स०)	05-निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य / 50P470200796300545	145.00

आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ पैतालीस लाख मात्र।

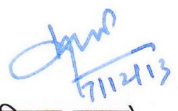
- आवंटित राशि वर्ष 2013-14 के बजट उपबंध ₹ 8000.00 लाख (₹ अस्सी करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत एवं परिशिष्ट 1 में अंकित कार्यों के विवरण के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को संसमय उपलब्ध कराया जाय।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 28 फरवरी 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 152

राँची, दिनांक :- 09.12.2013

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्दू राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/गुमला सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 152

राँची, दिनांक :- 09.12.2013

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/ योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०) राँची/विशेष सचिव जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(अविनाश कुमार)
सचिव

पत्रांक - 152

/ रॉची, दिनांक - 09.12.2013 परिशिष्ट - 1

मॉग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग,
मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोगना,
उपशीर्ष-30-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए.आई.बी.पी.)(अ०के०स०)
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य,
विपत्र कोड-50P470200796300545

बजट उपबंध (वर्ष 2013-14) रु. 8000.00 लाख

(लाख रु० में)

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मार्च 2013 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटन			अभ्युक्ति
								पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
श्रृंखलाबद्ध चेकडैम का निर्माण											
1	लघु सिंचाई प्रमडल, गुमला	गुमला	रायडीह	लूंगा नाला में श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	184.340	147.640	380.000	145.000	525.000	Phase-IV
		गुमला	पालकोट	तोरपा नदी में श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	143.150	120.470				
		गुमला	गुमला	नेम्हा नाला में श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	188.499	59.460				
		गुमला	सिसई	सिघाटोली नाला में श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	152.030	75.010				
		गुमला	सिसई	बधनी नाला में श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	171.170	50.300				
		गुमला	भरनो	चेंगरी नाला में श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	243.550	204.090				
		गुमला	घाघरा	गोमर नाला में श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	110.950	66.050				
		गुमला	घाघरा	घघरी नाला में श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	96.130	60.770				
		गुमला	घाघरा	बैसारी नाला में श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	197.860	1.630				
		गुमला	डुमरी	जुरमू नाला में श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	227.100	76.590				
		गुमला	चैनपुर	खोरहा नाला में श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	187.220	163.090				
		गुमला	चैनपुर	सपही नाला पर श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	182.720	35.010				
		गुमला	विशुनपुर	घाघरा नाला में श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	192.180	156.800				
		गुमला	घाघरा	टाटाम्बी नाला पर चेकडैम	47/07.03.11	30.630	7.560				
		गुमला	घाघरा	देबांकी नदी पर चेकडैम	47/07.03.11	74.184	60.600				
		गुमला	बसिया	बरय नाला पर चेकडैम	47/07.03.11	23.947	14.660				
		गुमला	बसिया	सुरजपुर नाला पर चेकडैम	47/07.03.11	27.467	21.710				
		गुमला	डुमरी	कटिम्बा नाला पर चेकडैम	47/07.03.11	30.230	23.470				
		गुमला	चैनपुर	केडंग नाला पर चेकडैम	47/07.03.11	30.050	22.580				
		गुमला	पालकोट	देवगाँवा नाला में चेकडैम	47/07.03.11	35.540	24.480				
		गुमला	पालकोट	तपकरा नाला पर चेकडैम निर्माण	47/07.03.11	35.280	24.960				
योग								380.000	145.000	525.000	
अतिरिक्त आवंटित राशि – ₹ एक करोड़ पैंतालीस लाख मात्र।											

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव(अभि०)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(अविनाश कुमार)
सचिव